

दिनांक 11-5-23 का पत्र

25-4-23 प्रावली उशासन गांवों के संग काम-
यान-2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
पार्थिया स्वयं उपस्थित। पार्थिया की
पटवर्तन वकील पार्थी द्वारा की गई।
पार्थिया ने उक्त पार्थिया-पत्र को कोर्ट
प्रेस में म्भारिज करने का निवेदन किया।

नोट
पत्र

पटवर्तन वकील
पार्थी



महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023 में पारित

चूंकि मूलवाद को नोटबुक्स में खारिज किया
जा चुका है, इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से उक्त
प्रार्थना- पत्र खारिज किया जाता है
प्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

25.4.22

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023